जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ए.डी.आर. सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर, भरतपुर
ई–मेल / फैक्स – 05644–228870 / dlsa6bhartpur@gmail.com

क्रमांकःजिविसेप्रा / पीएलवी–विज्ञप्ति / 2019 / 1 दिनांकः 11.10.2019

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु जारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & NSLSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013 के तहत माननीय रालसा व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भरतपुर जिले में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थापित विधिक सेवा केन्द्र के संचालन हेतु कुल 10 पैरालीगल वॉलेण्टियर के पदों पर प्रशिक्षण हेतु मनोनयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0सं0	तालुका विधिक सेवा समिति का नाम	कुल पद
01	डीग	1 (महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
02	बयाना	1 (महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
03	कामां	1 (महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
04	वैर	2
05	रूपबास	2
06	नगर	1
07	नदबई	2

1. शैक्षणिक योग्यता– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हायर सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल–मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
2. आवेदन–पत्र– इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
3. साक्षात्कार / परीक्षाः– आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर योग्य आवेदकों का साक्षात्कार लिया जावेगा, साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् सफल रहे अभ्यर्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जावेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।
4. चरित्रः– आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. शारीरिक योग्यताः– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेंः–

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

7. आवेदन की अंतिम तिथिः– तालुका स्तर के आवेदनकर्ता तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित तालुका के कार्यालय में दिनांकः 18.10.2019 को 10:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. पात्रताः– पीएलवी मनोनयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिये दिनांकः 18.10.2019 को बुलाया जावेगा। पीएलवी चयन हेतु अनु. जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जावेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पीएलवी चयन हेतु आवेदन कर सकते हैंः– सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एमएसडब्ल्यू छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजीशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिये एनरोल न हों) गैर राजनैतिक सदस्य, एन.जी.ओ. क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, ऐसे व्यक्ति जिसने पूर्व में कार्य किया हो उसे प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।
9. चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी):–
    1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
    2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोग अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
    3. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
    4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
    5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने वाले जेल लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
    6. बाल अधिकार, बालश्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा ( ) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
    7. विवादों का सेटलमेण्ट, प्री–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
    8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जावेगी कि स्थायी लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

10. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गए मेटेरियल का प्रचार व प्रसार करना।

10. स्पष्टीकरणः—यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों का अपने आवेदन—पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान का निवासी है। यथासम्भव उक्त पदों हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति में अलग—अलग गांवों/वॉर्डो के निवासियों के मनोनयन किया जावेगा जिनमें महिलाओं व कमजोर वर्गो के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जावेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पी.एल.वी. का चयन पूर्णतया अस्थाई होगा। चयनित पी.एल.वी. को नालसा व रालसा के निर्देशों के अधीन समय—समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जावेगा।

नोटः— आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
भरतपुर

क्रमांकःजिविसेप्रा/पीएलवी—विज्ञप्ति/2019/4991-5008 दिनांकः 11.10.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर
3. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति डीग/बयाना/कामां/वैर/रूपवास/नगर/नदबई
4. श्रीमान् जिला नियोजन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, भरतपुर
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर को प्रचारार्थ।
6. उपकारागृह डीग/बयाना
7. सूचना पट्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायालय, भरतपुर
8. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर
9. जिला न्यायालय, भरतपुर को न्यायालय की साइट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
भरतपुर

पैरालीगल वॉलेण्टियर्स (पी.एल.वी.) बाबत् आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक का नाम	–	.....	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
2.	पिता/पति का नाम	–	.....	
3.	आवेदक के पिता/पति का नाम (यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्ट "अविवाहित" लिखें)	–	.....	
4.	जाति	–	.....	
5.	संवर्ग–सामान्य/अजा/अजजा/ अपिवर्ग (जिा वर्ग से संबंधित हो लिखें)	–	.....	
6.	स्थायी पता मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर	–	.....	
7.	वर्तमान पता	–	.....	
8.	निकटतम पुलिस स्टेशन	–	.....	
9.	जन्म तिथि (अंकों में)	–	.....	
	(शब्दों में)	–	.....	
10	शैक्षणिक योग्यता	–	.....	
11	यदि आवेदक सेवानिवृत्त है कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए	–	.....	
12	आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	–	.....	
13	राष्ट्रीयता	–	.....	
14	आवेदक पीएलवी के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने के लिये तैयार है	–	1. तालुका मुख्यालय..... 2. गांव.....	
15	आवेदक वर्तमान में किस संस्था, एनजीओ या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण	–	.....	

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं.....सत्यापित करता/करती हूं कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

Help The Needy- Timely Help May Create History